<u>न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली</u>
<u>(कोटपूतली–बहरोड)</u>

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:– 112/2024

हेमन्त कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या मुख्य दि एवं स्वा अधिकारी अलवर।

–आवेदक

बनाम

श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चम्प सिंह राजपुरोहित, उम्र 29 वर्ष (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार, शाहजहाँपुर बहरोड निवासी जोगावतों का बास, चावन्डा, जोधपुर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 29/1/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हेमन्त कुमार यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.09.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 09 मार्च 2023 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 09 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2023/900 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 04.09.2023 को बाद दोपहर 03:20 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जॉच दल के साथ मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार, शाहजहाँपुर, बहरोड स्थित पर पहुँचा। उक्त स्थल पर विक्रेता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चम्प सिंह राजपुरोहित स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को विक्री वास्ते रखा हुआ था। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री मुकेश सिंह एवं श्री रोशनलाल यादव की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चम्प सिंह राजपुरोहित, निवासी जोगावतो का वास, चावन्डा, जोधपुर का होना बताया एवं मौके पर आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र /रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन नं0 22223054000947 दिनांक 20.05.20245 तक जारी होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर स्टील की ट्रे में करीब 10 किलोग्राम कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) आमजन को विक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री मुकेश सिंह एवं श्री रोशनलाल यादव की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) में से 2 किलोग्राम कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) वास्ते नमूना जॉच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 700/- (अक्षरे सात सौ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 किलोग्राम कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 40-40 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी-22095 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं0 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं0 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि उक्त कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 966 दिनांक 16.11.2023 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 135 दिनांक 5.3.24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) कलाकुन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

11. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामिल हेतु साधारण एवं रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये बाद तामिल अप्रार्थी उपस्थित नही आने पर अप्रार्थी की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

12. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

13. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध एवं चीनी से निर्मित) की बिक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो तथा अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चम्प सिंह राजपुरोहित, उम्र 29 वर्ष (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार, शाहजहाँपुर बहरोड निवासी जोगावतो का बास, चावन्डा, जोधपुर पर 25000/- पच्चीस हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.1.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली(कोटपूतली-बहरोड़)
कोटपूतली